37–(08)–139–2013

पटना में दिनांक–27 अगस्त, 2013 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उद्योग विभाग

1. निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

2. मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु योजना की स्वीकृति। — 2. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

3. आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना में संविदा आधारित नियत वेतन पर सृजित तीन वाहन चालकों के पदों को गैर योजनान्तर्गत नियमित वेतनमान में सम्परिवर्तित एवं सृजित करने के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

4. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प सं०–2375, दिनांक–12.05.2008 में संशोधन के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

5. राज्य के 36 जिलों में आधुनिक शव अन्त्य परीक्षण गृह (Postmortum House) के निर्माण हेतु प्रति जिला रू० 69,55,000/–(उनहत्तर लाख पचपन हजार रूपये) की दर से कुल प्राक्कलित राशि रू० 25,03,80,000/–(पच्चीस करोड़ तीन लाख अस्सी हजार रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति। — 5. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6. स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 137 तदर्थ रूप से नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के नियमित नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

7.	वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजना अन्तर्गत प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव के आयोजन हेतु भोजपुरी अकादमी, बिहार, पटना को कुल रूपये 5,00,000/–(पाँच लाख) रूपये मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति।	7.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8.	बिहार राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के नियत मासिक वेतन में एकमुश्त ₹ 3000/– (तीन हजार) की वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9.	बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के मासिक नियत वेतन में एकमुश्त ₹ 3000/– की वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

10.	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹ 11130.33 लाख (₹ एक अरब ग्यारह करोड़ तीस लाख तेतीस हजार) मात्र पर "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए व्यय करने की स्वीकृति।	10.	स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

11.	वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2016–17 यानि चार वर्षों के लिए राज्य में "समेकित मुर्गी विकास योजना" के सफल क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 61313.00 लाख (₹ छः अरब तेरह करोड़ तेरह लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृति तथा प्रतिवर्ष व्यय को उस वर्ष के लिए उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन सीमित रखने तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹ 8430.18 लाख (₹ चौरासी करोड़ तीस लाख अठारह हजार) मात्र की योजना एवं व्यय की स्वीकृति तथा सहायक अनुदान मद की राशि से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अनुदानित दर पर low input variety coloured chicks उपलब्ध कराने तथा मदर यूनिट की स्थापना हेतु जीविका के स्वयं सहायता समूहों को अनुदान उपलब्ध कराने की योजना जीविका के माध्यम से क्रियान्वित करने की स्वीकृति।	11.	स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

12. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन करने एवं इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की पूर्वानुमति। — 12. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

13. बिहार राज्य के अंतर्गत वन प्रमंडलों के पुर्नगठन के साथ–साथ छः नये वन प्रमंडलों का सृजन एवं उनके लिए विभिन्न कोटि के कुल–54 पदों के सृजन का प्रस्ताव। — 13. स्वीकृत।

गृह विभाग
(सैनिक कल्याण निदेशालय)

14. दिनांक–06.08.2013 को सरिया पुंछ (जम्मू एवं काश्मीर) में गश्ती के दौरान शहीद 04 (चार) सैनिकों के प्रत्येक निकटतम आश्रितों को 10–10 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

15. गृह विभाग अन्तर्गत स्वीकृत उप निदेशक (वेतनमान–पी०बी०–3–15600–39100 ग्रेड पे–7600) के पद को संयुक्त निदेशक वेतनमान–पी०बी०–4 –37400–67000 ग्रेड पे–8700 में अस्थायी रूप से उत्क्रमण के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

गृह विभाग
(अभियोजन निदेशालय)

16. श्री शिवदयाल राय, पुनर्स्थापित (Re-instated) सहायक लोक अभियोजन को विभागीय संकल्प सं०–647, दिनांक–17.07.2013 के कंडिका–11 (घ) में उल्लेखित अवधि दिनांक–16.07.1996 से सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 31.07.08 तक की अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करते हुए इस अवधि को पेंशन हेतु गणना करने संबंधी आदेश को संशोधित करते हुए दिनांक–16.07.1996 से 31.07.08 तक की अवधि का वेतनादि भुगतान करने के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

वित्त विभाग

17. राज्य सरकार के स्वशासी निकायों/संस्थानों से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

18. बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति। 18. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत छौड़ादानो अंचल के मौजा–बैजनाथपुर थाना नं०–172, खेसरा नं०–138 रकबा 60 डिसमिल प्रखंड कार्यालय परिसर की भूमि कुल 4,50,000/–रू० (चार लाख पचास हजार रूपये) सलामी तथा सलामी की राशि के 2% का 25 गुणा रू० 2,25,000 (दो लाख पचीस हजार रूपये) पूंजीकृत मूल्य सहित कुल रू० 6,75,000 (छः लाख पचहत्तर हजार रूपये) के भुगतान पर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को हस्तांतरित करने के संबंध में। 19. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल–रामगढ़वा, मौजा–रामगढ़वा, थाना नं०–66, खाता सं०–14, खेसरा सं०–1481, 1482, रकबा–क्रमशः 0.25 एवं 0.25 एकड़ कुल रकबा–0.50 एकड़, प्रखंड परिसर की भूमि 8000.00 (रूपये आठ हजार) प्रति डिसमिल की दर से 4,00,000 (चार लाख रूपये) सलामी एवं सलामी के 2% का 25 गुणा रूपये 2,00,000 (दो लाख रूपये) पूँजीकृत मूल्य सहित कुल रूपये 6,00,000 (छः लाख रूपये) मात्र के भुगतान पर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० पटना को हस्तान्तरित करने के संबंध में। 20. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

21. बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष /उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को देय सुविधाओं के संबंध में। 21. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

22. बिहार राज्य अन्तर्गत 10 विभिन्न जिलों में निर्मित होने वाले ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल/हॉस्टल भवनों के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन पर बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना की सहमति के आलोक में, वित्तीय वर्ष 2013–14 में, कुल प्राक्कलित राशि रू० 51,21,00,000/–(रूपये एकावन करोड़ एक्कीस लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं केन्द्रांश के रूप में प्राप्त राशि के व्यय की स्वीकृति।

22. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

23. बिहार राज्य अन्तर्गत 10 विभिन्न जिलों में निर्मित होने वाले जी०एन०एम०ट्रेनिंग स्कूल/हॉस्टल भवनों के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन पर बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना की सहमति के आलोक में, वित्तीय वर्ष 2013–14 में, कुल प्राक्कलित राशि रू० 1,07,73,00,000/–(रूपये एक अरब सात करोड़ तिहत्तर लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं केन्द्रांश के रूप में प्राप्त राशि के व्यय की स्वीकृति।

23. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

24. "अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंसन सेंटर, राजगीर" के संगम ज्ञापन और नियम और विनियम की स्वीकृति के संबंध में।

24. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

25. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को अपर समाहर्त्ता कोटि, पे–बैंड ₹ 15,600–39,100/–, ग्रेड पे ₹ 7,600/–से संयुक्त सचिव के पद, पे–बैंड ₹ 37,400–67,000/–, ग्रेड पे ₹ 8,700/– में प्रोन्नति देने का प्रस्ताव।

25. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

26. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सब्सीडी के रूप में पूर्व स्वीकृत 2160 करोड़ रूपये (दो हजार एक सौ साठ करोड़ रूपये) के अतिरिक्त 470.61 करोड़ रूपये (चार सौ सत्तर करोड़ एकसठ लाख रूपये) स्वीकृत करते हुए वर्ष 2013–14 में अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों के विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु 310.61 करोड़ रूपये (तीन सौ दस करोड़ एकसठ लाख रूपये) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं अगस्त, 2013 से मार्च 2014 की अवधि के लिए 180 करोड़ रूपये (एक सौ अस्सी करोड़ रूपये) प्रतिमाह के बदले 200 करोड़ रूपये (दो सौ करोड़ रूपये) प्रतिमाह की दर से कुल 1600 करोड़ रूपये (एक हजार छः सौ करोड़ रूपये) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी० को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

26. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा)

27. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा निबंधित 2459 + 1 कोटि के मदरसों के अन्तर्गत संकल्प संख्या–1090 दिनांक–29.11.1980 में विहित माप–दण्ड पूरा करने वाले 205 मदरसों के नियोजित शिक्षकों के नियत मासिक वेतन में एकमुश्त ₹ 3,000/–(तीन हजार) रूपये मात्र की वृद्धि के फलस्वरूप पूर्व से स्वीकृत राशि ₹ 10,46,20,000/–(दस करोड़ छियालीस लाख बीस हजार) रूपये मात्र के अतिरिक्त ₹ 4,51,44,000/–(चार करोड़ एकावन लाख चौवालिस हजार) रूपये मात्र के व्यय भार की स्वीकृति के संबंध में।

27. स्वीकृत।